न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2/2017 जिला दौसा

1. मोहन लाल पुत्र जयचन्द
2. मान्या पुत्र जयचन्द
3. रामकेश पुत्र जयचन्द
4. रामखिलाडी पुत्र जयचन्द
5. रामसहाय पुत्र जयचन्द

समस्त जाति मीना, निवासी ग्रम मिर्जापुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. छीतर पुत्र श्रीकिशन
2. कालू पुत्र श्रीकिशन

जाति मीना, निवासी ग्रम मिर्जापुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.11.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजकुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक– 28.8.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.11.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मिर्जापुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा में से 1/3 हिस्से के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 छीतर, कालू पि. श्रीकिशन है । अपीलान्ट्स संख्या 1 से 5 ने विवादित आराजी का विभाजन रेस्पोंडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना कराकर तथाकथित सहमति के विभाजन के आधार पर पटवारी हल्का व तहसीलदार से तरमीम करा ली व नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 31.1.2012 तस्दीक करा लिया, जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट छीतर की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.11.2016 से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 31.1.2012 वाके ग्रम मिर्जापुरा, तहसील लालसोट निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर, प्रकरण की पुनः जॉच कर विधि प्रकिया अनुसार कार्यवाही करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया है ।

अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.11.2016 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गइ । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार लालसोट द्वारा पक्षकारों के मध्य वाहमी विभाजन आदेश दिनांक 25.1.2012 पारित किया था जिसके आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 31.1.2012 तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया है । विवादित भूमि में से रेस्पोंडेन्ट्स को लालसोट मिर्जापुरा रोड पर अधिकांश हिस्सा दे दिया जबकि अपीलान्ट्स के हिस्से में मुख्य सडक पर करीबन 1/5 हिस्सा ही आया है । रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि में व्यवधान उत्पन्न करने पर अपीलान्ट्स ने न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के समक्ष एक वाद उनवानी भंवर लाल बनाम छीतर आदि प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोंडेन्ट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कर दिया था । रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स की भूमि को भी अपनी बताकर उसमें से जबरन रास्ता निकालने का आधार अंकित कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट में वाद स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जो खारिज हुआ । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण विभाजन आदेश दिनांक 25.1.2012 के आधार पर तस्दीक हुआ है , वह विधिक रूप से तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक विभाजन आदेश सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य हुये वाहमी विभाजन का वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट ने विभाजन को प्रभावित मानकर अपीलान्ट्स का वाद डिक्री किया था, जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स ने कोई अपील नहीं की है तथा न ही तहसीलदार के विभाजन आदेश दिनांक 25.1.2012 को चुनौती दी है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील की समय सीमा के संबंध में की गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया, जबकि सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को समय सीमा के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना चाहिये था । अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति विभाजन के आदेश की पालना में तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है तथा अपीलाधीन आदेश स्वेच्छिक रूप से पारित किया है, जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि सर्वप्रथम 45 दिन तक नामांतरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार संबंधित ग्रम पंचायत को है, लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है । उनका कहना था कि तथाकथित विभाजन सहमति, फर्जी व बनावटी है जिस पर रेस्पोंडेन्ट कालूराम की अंगूठा निशानी है जबकि कालूराम पढा लिखा है एवं हस्ताक्षर करता है । बिना सहमति के तथाकथित विभाजन आदेश अवैधानिक है तथा ऐसे अवैधानिक विभाजन आदेश की अनुपालना में तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण भी विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट ने विभाजन पर सहमति नहीं दी थी और ना ही मौके के अनुसार विभाजन हुआ है बल्कि अपीलान्ट्स द्वारा साजिशपूर्ण कार्यवाही की है । रेस्पोंडेन्ट्स को प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिये जिससे उन्हें प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान प्रारम्भ से नहीं था । पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर नामांतरकरण का ज्ञान हुआ ओर नकल प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । उनका कहना था कि भूमि में 0.02 हैक्टेयर भूमि कम करते हुये रास्ता दिखाया गया है जबकि रास्ते की भूमि दोनों के हिस्से में से कटौती करनी चाहिये थी ।

रास्ते के कारण भूमि दो हिस्सों में बट रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में तकासमे की मूल पत्रावली के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन पत्र पर खातेदार कालू के हस्ताक्षर नहीं होना एवं रास्ते का कही उल्लेख नहीं होना मानते हुये रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः जॉच कर विधि प्रकिया अनुसार कार्यवाही करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया है । उनका कहना था कि प्रकरण में पुनः जॉच एवं सुनवाई होकर विधि प्रकियानुसार पुनः निर्णय तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित किया जाना है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण मे विवाद विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य हुये वाहमी विभाजन आदेश के अनुसार तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 31.1.2012 के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.11.2016 में तकासमे की मूल पत्रावली के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन पत्र पर खातेदार कालू के हस्ताक्षर नहीं होना एवं रास्ते का कही उल्लेख नहीं होना मानते हुये रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः जॉच कर विधि प्रकिया अनुसार कार्यवाही करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के संबंध में सहमति विभाजन पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट्स की मुख्य आपत्ति कि तथाकथित विभाजन सहमति, फर्जी व बनावटी है जिस पर रेस्पोंडेन्ट कालूराम की अंगूठा निशानी है जबकि कालूराम पढा लिखा है एवं हस्ताक्षर करता है । रेस्पोंडेन्ट्स को सुनवाई का नोटिस दिये बिना प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति के संबंध में आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.11.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 31.1.2012 वाके ग्रम मिर्जापुरा, तहसील लालसोट निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर, प्रकरण की पुनः जॉच कर विधि प्रकिया अनुसार कार्यवाही करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 21.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर